न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–75/2026

प्रार्थी:–

जगाराम पुत्र लादाराम जाति कुम्हार निवासी पादरू की वास सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. अणदाराम पुत्र लादाराम जाति कुम्हार निवासी पादरू की वास सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. जामतांराम पुत्र लादाराम जाति कुम्हार निवासी पादरू की वास सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास शाखा सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री महावीरसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 27.05.2026

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि सरहद मौजा उमसर तहसील सिवाना में खसरा संख्या 226 व 228 रकबा 5.2466 व 1.5990 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है, उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम ''जगदीश'' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड, पेनकार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस आदि में प्रार्थी के वास्तविक नाम ''जगाराम दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का नाम का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, परिवार राशनकार्ड आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''जगाराम '' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम उमसर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 226 व 228 रकबा 5.2466 व 1.5990 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम ''जगदीश'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्ध व सही नाम दर्ज किया जावे।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, परिवार राशनकार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''जगाराम'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''जगदीश'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उमसर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 226 व 228 रकबा 5.2466 व 1.5990 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''जगदीश ''के स्थान पर ''जगाराम उर्फ जगदीश'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)